न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज०)

पीठासीन अधिकारी :– दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद संख्या :– 34 / दावा / 2019

भीमसिंह आत्मज श्री धन सिंह आयु 60 वर्ष जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.)

– वादी

बनाम

1. स्वरूप सिंह आत्मज श्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.) (डीलीट)
2. भंवर सिंह आत्मज श्री धन सिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
3. गोपाल सिंह सिंह आत्मज श्री मोड सिंह जाति राजपूत निवासी जाखमुण्ड तहसील तालेडा जिला बून्दी (राज.)
4. राजस्थान राज्य जर्ये श्रीमान तहसीलदार महोदय तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राजस्थान।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 15,19,88,89,209,92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

वाद अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1 जा0दी0

उपस्थित :–

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अवधेश शर्मा
2. प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार।

–: निर्णय :–

दिनांक 27 / 02 / 2019

1. वादी के द्वारा दिनांक 18.02.19 को उक्त उनवान का वाद पेश किया था। वाद पत्र के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 142 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, के माल में विस्थित है। जो वादी के कब्जे काश्त की कृषि

उपखण्ड अधिकारी तालेडा

Scanned by CamScanner

भूमि है। उपरोक्त कृषि भूमि सरकारी रिकार्ड में इस समय सरकार के खाते में अंकित हो रही है तथा वादी तथा प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 तथा जमाबन्दी में वर्णित पारिवारिक सदस्यों के नाम मुबिक दर्ज हो रही है। उपरोक्त कृषि भूमि के विषय में बून्दी स्टेट के समय जो बन्दोबस्त हुआ उस समय इस भूमि के खसरा नं. 140 तथा 164 मि0 कायम हुआ था एवं रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा था तथा उक्त खसरा नं. के सेटलमेन्ट के पश्चात खसरा सं. 140 के वर्तमान खसरा नं. 107 कायम हुये तथा 164 के वर्तमान खसरा नं. 142 कायम हुये। उपरोक्त कृषि भूमि में सुमेर सिंह वल्द जोरावर सिंह जोता के रूप में दर्ज है जो वादी के दादाजी है जो जमाबन्दी सम्वत् 2001–05 से प्रमाणित है। सन् 1955 में राजस्थान टिनेन्सी एक्ट अमल में आया उस समय के खातेदार काल्या वल्द मंगला का नाम खातेदारी से हटा दिया तथा जमाबन्दी सम्वत् 2007–2012 के कॉलम सं. 8 में कृषक के रूप में वादी के दादाजी का नाम दर्ज था। वादी के पूर्वज टिनेन्सी एक्ट अमल में आने से पूर्व उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा लगान अदा करते चले आ रहे है। बंटवारे में उपरोक्त भूमि वादी को प्राप्त हुई है। वर्तमान में वादी का ही उपरोक्त भूमि पर कब्जा काश्त है। अन्त में प्रार्थना की गई कि वादी को वाद वर्णित कृषि भूमि पर खातेदार घोषित किया जावे।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने इकबालिया जबाव पेश किया तथा पैरोकार सरकार ने वादी के वाद पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया।

3. वादी वकील ने साक्ष्य में पी.डब्लू–1 के रूप मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेज साक्ष्य में जमाबन्दी संवत् 2068–71 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2007–12 प्रदर्श 2, खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2028–47 प्रदर्श 3, मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 4, जमाबन्दी सम्वत् 2001–05 प्रदर्श 5 पेश की। प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नही किये गये।

4. वकील वादी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई ततपश्चात पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। उपरोक्त उनवानी वाद का निर्णय निम्न विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार किया जा रहा है। इसके सम्बंध में वादी ने जमाबन्दी सम्वत् 2001–2005 को प्रदर्श–5 के कॉलम संख्या 8 में खुद काश्त जोता वगेराह मय हक काश्त में वादी के दादाजी सुमेर सिंह मु.बि.क. दर्ज है जिससे साबित होता है कि

उपखण्ड अधिकारी तारागढ़

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आराजी वादी के पूर्वजो के रहन दर्ज थी तथा कब्जा काश्त थी। वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है। जहां तक मु.बि.क के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न है तो उक्त कृषि भूमि पर वादी के दादाजी जो मु.बि.क(रहन) का नोट लगा हुआ है वह काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व का है तथा बून्दी स्टेट टिनेन्सी एक्ट के अनुसार मु.बि.क (रहन) का नोट तथा कब्जा प्राप्त करने की मियाद 20 वर्ष हैं इस प्रकार प्रतिवादी सं. 4 के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व दर्ज खातेदारान् ने उक्त भूमि को वादी के दादाजी से रहन मुक्त करवा लिया हो। इस प्रकार बून्दी स्टेट के समय से ही वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है जमाबन्दी सम्वत् 2007–12 जो प्रदर्श–2 है के कॉलम संख्या 8 में नाप खातेदार या सिखमी जोता वगेराह मय हक काश्त में वादी के दादाजी सुमेर सिंह मु.बि.क. दर्ज है अर्थात वादी के दादाजी सम्वत् 2001 में उपरोक्त कृषि भूमि का उप काश्तकार था। धारा 15 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उप अभिधारियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने सबंधी विधि का विश्लेषण किया गया है जिसके अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 या सम्वत् 2012 में जो व्यक्ति एक अभिधारी है इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो व्यक्ति अभिधारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है वह व्यक्ति विधि के प्रवर्तन से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है इस प्रकार वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित किया है कि वादी सम्वत् 2012 से पूर्व से ही उपरोक्त कृषि भूमि पर वैध अभिधारी की हैसियत से काबिज है इस प्रकार वादी उपरोक्त आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

–: निर्णय :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी को कृषि भूमि खसरा संख्या 107 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 142 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम जाखमुण्ड तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज.) का खातेदार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादी का नाम खातेदार के रूप में उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा वर्तमान जमाबंदी में दर्ज मु.बि.क. के रूप में अन्य व्यक्तियों के नाम को हटा कर राजस्व रिकार्ड से विलोपित किया जावे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा

27/2/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी (राज.)

Scanned by CamScanner